~~... ... ...~~
~~... ... ...~~
~~... ... ...~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 15-6-2021
को पेश हो।
रीडर

नि:
सोमा

15-6-2021 वकील वादी उप०। बहस सुनी गई। प्रकरण मे ~~तहसीलदार~~ प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन स्कीम तहसीलदार गंगापुर सिटी से मंगवाई जावे। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली दि० 2-7-2021 को विभाजन स्कीम हेतु पेश हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

2-7-2021 - कोविड-19 के कारण कोई उप० नहीं है।
पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष उपस्थित हैं/अनुपस्थित है।~~ श्रीमान् पीठासीन अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानान्तरण हो गया है।~~
अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 23-7-2021
को पेश हो।
रीडर

23-7-2021 वकील वादी उप०। विभाजन स्कीम पर वकील वादी को सुना गया। वकील वादी विभाजन स्कीम के अनुसार भूमि का विभाजन करने पर सहमत है। अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है। वादग्रस्त भूमि का विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य विभाजन किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल किया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय श्री अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

| मुकदमा नम्बर | तारीख रजू | तारीख निर्णय |
|---|---|---|
| 37/2020 | 20.10.2020 | 23.7.2021 |

[illegible] पत्नी कालूराम मीना जाति मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर ——वादिया

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भैरू | जाति नाई
2. नन्नी पुत्री भैरू | निवासी अरनिया
3. संतोष पुत्र भैरू | तहसील गंगापुर सिटी
4. सीता पुत्री भैरू | जिला सवाई माधोपुर
5. सोमा पत्नी स्व0 रामसहाय जाति मीणा निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ——प्रतिवादीगण

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री सत्यभानसिंह, एडवोकेट, वादिया की ओर से

निर्णय

वादिया ने वादपत्र इस आशय का पेश किया है कि वादिया एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी एवं शामलाती कब्जे काश्त की आराजी खसरा नम्बर 411/1213 रकवा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकवा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 रकवा 0.42 हैक्टर कुल रकबा 1.18 ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी में स्थित है। उक्त आराजी में वादिया का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/16 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 4 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 5 का 1/2 हिस्सा है। वादिया एवं प्रतिवादीगण ने मौखिक रूप से उक्त आराजियात का बॅटवारा कर रखा है एवं अपने अपने हिस्से पर काबिज है। प्रतिवादीगण की नियत में खोट आ गया है एवं प्रतिवादीगण आए दिन वादिया के खेत में जानवरों को छोड देते तथा वादिया की डोल को तोड देते हैं तथा वादिया को जमीन को छीनने पर आमदा रहते है। दिनांक 14.09.2020 को सुबह 7.00 बजे वादिया अपने पति के साथ अपने खेत पर गई तो देखा की प्रतिवादीगण वादिया की डोल को छील रहे थे, वादिया ने उनसे ऐसा करने को मना किया तो प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने लगे एवं ऐलानियां धमकि दी कि हम तुम्हें खेती नहीं करने देंगे, हमने जमीन का सौदा कर दिया है। वादग्रस्त आराजियात वादिया एवं प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.07.19 18:14:16 IST
Reason: SelfAttested

ला कलेक्टर

सहखातेदारी की भूमि है, उक्त भूमि में सभी सहखातेदारों का समान कब्जा विधिअनुसार है। प्रतिवादीगण अपनी आराजी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही कर दिया जाता। प्रतिवादीगण भूमि शामलाती होने के कारण आए दिन वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है, इसलिए मीट्स एण्ड बाउन्ड के तहत उक्त आराजियात का बॅटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्व प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 411/1213 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.42 हैक्टर कुल रकबा 1.18 हैक्टर ग्राम अरनिया तहसील गॅगापुर सिटी सहखातेदारी में होने के कारण उक्त आराजियात का मीट्स एवं बाउन्ड्स के तहत पृथक पृथक रूप से विधि अनुसार बंटवारा करने के आदेश फरमाए जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 411/1213 रकवा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.37 हैंक्टर, खसरा नम्बर 759 रकवा 0.42 हैक्टर कुल रकवा 1.18 हैक्टर ग्राम अरनिया में वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करें, और न दीगर से करावें, ना ही कहीं रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 138 ग्राम अरनिया प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादिया अमरबाई पीडब्ल्यू 1, बयान गवाह भीमसिंह सैनी पीडब्ल्यू 2 कराये है।

बहस विद्वान वकील वादिया [illegible] जाकर वादिया का दावा दिनांक 15.6.2021 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 20.7.2021 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई । विभाजन स्कीम पर वादिया के वकील को सुना गया। वादिया के वकील ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया की भूमि का विभाजन करने एवं वादिया के नाम भूमि का पृथक से खाता कायम करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप तहसीलदार

सहखातेदारी की भूमि है, उक्त भूमि में सभी सहखातेदारों का समान कब्जा विधिअनुसार है। प्रतिवादीगण अपनी आराजी बेजा हरकतों से तब तक बाज नहीं आवेंगे जब तक कि उन्हें स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नही कर दिया जाता। प्रतिवादीगण भूमि शामलाती होने के कारण आए दिन वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा करते है, इसलिए मीट्स एण्ड बाउन्ड के तहत उक्त आराजियात का बॅटवारा किया जाना आवश्यक है। अतः दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि दावा वादिया विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर आराजी खसरा नम्बर 411/1213 रकबा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 रकबा 0.42 हैक्टर कुल रकबा 1.18 हैक्टर ग्राम अरनिया तहसील गंगापुर सिटी सहखातेदारी में होने के कारण उक्त आराजियात का मीट्स एवं बाउन्ड्स के तहत पृथक पृथक रूप से विधि अनुसार बंटवारा करने के आदेश फरमाए जावें। प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे आराजी खसरा नम्बर 411/1213 रकवा 0.39 हैक्टर, खसरा नम्बर 758 रकबा 0.37 हैक्टर, खसरा नम्बर 759 रकवा 0.42 हैक्टर कुल रकवा 1.18 हैक्टर ग्राम अरनिया में वादिया के कब्जे काश्त में मजाहमत पैदा ना तो स्वयं करें, और न दीगर से करावें, ना ही कहीं रहन वय करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादीगण बाबजूद सूचना हाजिर अदालत नही हुए। अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

वादपत्र के समर्थन में वादिया ने नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 खाता संख्या 138 ग्राम अरनिया प्रदर्श 1, नकल नक्शा ट्रेस प्रदर्श 2 प्रस्तुत किये है एवं बयान वादिया अमरबाई पीडब्ल्यू 1, बयान गवाह भीमसिंह सैनी पीडब्ल्यू 2 कराये है।

बहस विद्धान वकील वादिया सुनी जाकर वादिया का दावा दिनांक 15.6.2021 को प्राथमिक डिक्री [illegible] जाकर तहसीलदार गंगापुर सिटी विभाजन स्कीम मंगवाई गई।

तहसीलदार गंगापुर सिटी के यहां से दिनांक 20.7.2021 को विभाजन स्कीम प्राप्त हुई । विभाजन स्कीम पर वादिया के वकील को सुना गया। वादिया के वकील ने तहसीलदार गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार वादिया की भूमि का विभाजन करने एवं वादिया के नाम भूमि का पृथक से खाता कायम करने का निवेदन किया है। फलस्वरूप तहसीलदार

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested

गंगापुर सिटी से प्राप्त विभाजन स्कीम के अनुसार पक्षकारों के मध्य भूमि का विभाजन किया जाना उचित है।

## आदेश

अतः वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 411/1213 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 759 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.18 है0 ग्राम अरनिया का वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. वादिया अमरबाई पत्नी कालूराम जाति मीना निवासी अरनिया की खातेदारी मे भूमि ख0न0 411/1213/1 रकबा 0.1475 है0, जिसे विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, रहेगी।

2. प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र भैरू हिस्सा 59/826, संतोष पुत्र भैरू हिस्सा 59/826, सीता पुत्री भैरू हिस्सा 59/413, मन्नी पुत्री भैरू हिस्सा 59/413 जाति नाई निवासी अरनिया, सोमा पत्नी स्व. रामसहाय हिस्सा 236/413 जाति मीना निवासी अरनिया की खातेदारी मे भूमि ख0न0 758 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.42 है0, ख0न0 411/1213/2 रकबा 0.14 है0, ख0न0 411/1213/3 रकबा 0.1025 है0 कुल रकबा 1.0325 है0, जिसे विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है, रहेगी।

इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरूस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी। पर्चा डिक्री जारी कि[illegible]

निर्णय आज दिनांक 23.7.2021 को [illegible] गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested

( अनिल कुमार चौधरी )
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी.

उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स0मा0)

[illegible]

(ऑर्डर 20, रूल 6—जाब्ता दीवानी) Part IV-10

(Civil Proceede Code, Appendix D-1)

इज अदालत उप जिला कलेक्टर मुकाम गंगापुर सिटी

इजलास अनिल कुमार चौधरी, आर0ए0एस0

उनवान

अमरबाई पत्नी कालूराम मीना जाति मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर —वादिया

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र भैरू
2. मन्नी पुत्री भैरू
3. संतोष पुत्र भैरू
4. सीता पुत्री भैरू

जाति नाई निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

5. सोमा पत्नी स्व0 रामसहाय जाति मीना निवासी अरनिया तहसील गंगापुर सिटी, जिला सवाई माधोपुर —प्रतिवादीगण
6. लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

दावा भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. – 97/2020

यह मुकदमा आज वास्ते इनफियाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी श्री सत्यभान सिंह, एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई श्री ....................मुद्दायलह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादिया का वाद डिक्री किया जाकर भूमि ख0नं0 411/1213 रकबा 0.39 है0, ख0नं0 758 रकबा 0.37 है0, ख0नं0 759 रकबा 0.42 है0 कुल रकबा 1.18 है0 ग्राम अरनिया का वादिया एवं प्रतिवादी नं0 1 ता 5 के मध्य निम्न प्रकार विभाजन किया जाता है:—

1. वादिया अमरबाई पत्नी कालूराम जाति मीना निवासी अरनिया की खातेदारी मे भूमि ख0न0 411/1213/1 रकबा 0.1475 है0, जिसे विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नक्शे मे गुलाबी रंग से दर्शाया गया है, रहेगी।

2. प्रतिवादी बाबूलाल पुत्र भैरू [illegible] 59/826, संतोष पुत्र भैरू हिस्सा 59/826, सीता पुत्री भैरू हिस्सा [illegible]/413, मन्नी पुत्री भैरू हिस्सा 59/413 जाति नाई निवासी अरनिया, सोमा [illegible] स्व. रामसहाय हिस्सा 236/413 जाति मीना निवासी अरनिया की खा[illegible]री मे भूमि ख0न0 758 रकबा 0.37 है0, ख0न0 759 रकबा 0.42 है0, ख0न0 411/1213/2 रकबा 0.14 है0, ख0न0 411/1213/3 रकबा 0.1025 है0 कुल रकबा 1.0325 है0, जिसे विभाजन स्कीम के साथ प्राप्त नक्शे मे पीले रंग से दर्शाया गया है, रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर

अमरबाई बनाम बाबूलाल वगैरा, दावा



इसी अनुसार पक्षकारों के नाम पृथक पृथक भूमि दर्ज की जाकर इनका पृथक पृथक लगान निर्धारित किया जावे एवं राजस्व अभिलेख एवं नक्शा ट्रेस में इसी अनुसार इन्द्राज दुरुस्ती की जावे। विभाजन स्कीम निर्णय का हिस्सा रहेगी।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23.7.2021 को जारी किया गया ।

( अनिल कुमार चौधरी )
उप जिलाकलेक्टर
गंगापुर सिटी
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी (स०मा०)

| मुद्दई | रूपया | पैसा | मुद्दायलह | रूपया | पैसा |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जीदावा | | | | | |
| स्टाम्प वकालतनामा | | | स्टाम्प वकालतनामा | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | स्टाम्प पर्ची | | |
| महनताना वकील | | | महनतानावकील पर | | |
| खर्चा गवाहान | | | खर्चा गवाहान | | |
| फीस कमिश्नर | | | फीस कमिश्नर | | |
| बाबत इजराय | | | बाबत इजराय | | |
| हुक्मनामा | | | हुक्मनामा | | |
| मुतफर्रिक | | | मुतफर्रिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.04.19 13:14:16 IST
Reason: SelfAttested